

27.06.2024:-पत्रावली आज पेशी मे आई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी का मूल वादपत्र विद्धा हो गया। मूल वाद पत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Dwya

सहायक कलक्टर
एवं उपब्रह्माधिकारी
हनुमानगढ़

